न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार असीजा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 6 / 2020

आरसीएमएस नं. 2020 / 00006

1. तेजा कृष्ण पुत्र सुलतन जाति बावरी निवासी 3 के.डब्ल्यू.एम. तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. चन्दो देवी पत्नी लालचन्द
3. अन्जू देवी पुत्री रामप्रताप
4. गीता पुत्री रामप्रताप
5. मुकेश पुत्र इन्दो देवी
6. रामचन्द पुत्र रामप्रताप
7. शशि पुत्री रामप्रताप
8. संतोष पुत्री रामप्रताप
9. कौशल्या पुत्री रामप्रताप
10. गीता पुत्री इन्दो देवी
11. जुग्गी देवी पत्नी रामप्रताप
12. रजनी पत्नी इन्दो देवी
13. रोशनी पुत्री रामप्रताप
14. संतरो पुत्री इन्दो देवी

जाति बावरी निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ, दिनांक 27.06.2016,
प्र. सं. 301/2015 अनवान राजस्थान राज्य बनाम कृष्ण आदि

उपस्थितिः—
श्री दलीप सिह शेखावत अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मति शकुन्तला भाटीवाली अधिवक्ता अपीलाण्ट सं0 2 ता 14 रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय दिनांक 27.9.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थना—पत्र में कथन किया कि चक 3 के.डब्ल्यू.एम. के प. नं. 156/289 व प. नं. 156/390 की कुल 3.036 है0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। यह भूमि कृषि कार्य हेतु है तथा अप्रार्थीगण या पूर्व खातेदार काश्तकार ने इस भूमि को राज्य सरकार के नियमों व विनियमों के तहत किसी कदर अकृषि कार्य में संपरिवर्तित नहीं करवाया हुआ है उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ईंट भट्टा बना रखा है। अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तों का उल्लंघन किया है जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि से बेदखल किया जावे एवं भूमि को आराजीराज घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना—पत्र को स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने तथा राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि को आराजीराज दर्ज करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश पारित किये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी की कृषि भूमि को रकबाराज घोषित करने की अधिकारिता नहीं थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की अभिकथित रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाई चाहिए थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय व अविश्वासनीय रिपोर्ट पर आक्षेपित आदेश पारित कर विधिक भूल की है। कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू विभाग विभाग, श्रीगंगानगर से प्रश्नगत भूमि के संबंध में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ईंट भट्टा, ईंट मिट्टी उत्खनन के लिए अनुज्ञा पत्र दिनांक 12.02.2012 से 5 वर्ष की अवधि तक जारी किया हुआ था। लेकिन अधीनस्थ न्यायलाय ने कालावधि पूर्ण होने से पूर्व ही हल्का पटवारी की अभिकथित रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया है। अपीलाण्ट ने अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु कार्यवाही कर रखी है तथा जरिये ई चालान राशि भी जमा करवा दी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना व अनुज्ञा पत्र की कालावधि समाप्त होने से पूर्व धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनिमय की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 178 के अनुसार आदेश में तीन माह का समय दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई समय का उल्लेख नहीं किया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से अपीलाण्ट को कोई ज्ञान नहीं रहा है व ना ही ऐसी किसी आदेश की कोई सूचना ही अपीलाण्ट को प्राप्त हुई है। पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर सर्वप्रथम आदेश का ज्ञान हुआ इससे पूर्व आदेश का कोई ज्ञान नहीं रहा है। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील में हुए विलम्ब का क्षमा किया जावे एवं अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अपीलाण्ट द्वारा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों में भू– रूपान्तरण की स्वीकृति करवाये बिना अकृषि कार्य (ईंट भट्टा) हेतु प्रयोग में लिया गया है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया है जिससे राज्य को क्षति कारित हुई। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रस्तुत करने पर प्रश्नगत चक 3 के.डब्ल्यू.एम. के प. नं. 156/289 व प. नं. 156/390 की कुल 3.036 है0 भूमि को रकबाराज घोषित कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश पारित किये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे नोटिस की कोई सूचना नहीं मिली उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैं।

धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हानिप्रद कार्य का शर्त भंग के कारण बेदखली के प्रावधान किये गये हैं, जिसमें उपधारा (3) में यह उल्लेख है कि इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में उल्लेखित की जाए के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि से बेदखल क्यों न कर दिया जाए कारण बताने का आदेश देगा। उपधारा (4) में यह प्रावधान है कि 'यदि वह नोटिस में उलेखित अवधि के भीतर उपस्थित आता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय यथोचित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने पर उस आवेदन को वाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार की एक वाद में कार्यवाही का निस्तारण किया गया है। इसके अलावा धारा 178 (2) में यह प्रावधान है कि 'ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निर्देश होगा कि अगर आगामी डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महिने के अन्दर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसके लिए न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट फूट की मरम्मत करवा दे या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे तो न्यायालय उचित समझे तो डिक्री या आज्ञा की लागत के अलावा अन्य किसी के लिए निष्पादन नहीं किया जायेगा। इस प्रकरण में इस तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं जो अपेक्षित थे। अपीलाण्ट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178 (2) के तहत तीन माह का समय नहीं दिया गया है जो कि अपेक्षित था। अपीलाण्ट द्वारा अपील में ये कथन किया गया है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला है।

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रश्नगत भूमि का भू परिवर्तन करने का आवेदन पत्र लम्बित है। अपीलाण्ट इस संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। यदि उपरौक्त तीन माह की अवधि में दस्तावेज पेश कर देता है तो उसे भी दृष्टि रखते हुए निर्णय पारित किया जाना उपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 27.07.2016 निरस्त किया जाता है प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178 (2) के प्रावधानों की पालना कर उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(अशोक कुमार अजीला)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner